

मंदिर श्री गौरीगंजी वनाम सलीम खॉ

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

27-07-2012

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

उनधानी प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
स्थल-.....**फुटाला**..... में पेश हुआ/
वकील वादी प्रतिवादी समय-कारण उपस्थित/
अनुपस्थित। प्रकरण के निष्पत्ति की शपथना से
पक्षकारान के भय-... में... मेलजोल के
... किये गये। मेलजोल के प्रयत्नों के बावजूद भी
... में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका।
अतः पत्रावली पूर्व नियत दिनांक **24.8.12** को पेश हों।

इकजाई तारीख पेशी देने पर आज
पत्रावली पेश हुई। बहुलाय फरिकेन
उपस्थित/पीठा. अधिकारी वीरे/अन्य
कार्य में व्यस्त/... में है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक **12-3-18** को
पेश हो।

Signature

पत्रावली... बहुलाय फरिकेन उपस्थित/
पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/
... में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक **11-5-18** को पेश हो।

Signature

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष-2018
विभाग संयुक्त शासन कक्षा, न्याय (गुप्त-1) विभाग जयपुर
फाक प 12 (15) ...
... में पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक **3-8-18** को पेश हो।

Signature

06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार
अभियान- 2018 के तहत आयोजित राजस्व
लोक अदालत के कैम्प-फुटाला के अटल
सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन
किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त
प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र मुकदमा
नम्बर 276/2012 उनवानी मन्दिर मूर्ति
नृसिंहजी वगै० बनाम सलीम खॉ वगै० आज
लोक अदालत में डिकी होकर फैसल हो चुका
है।

Signature

मेरे जो मैरी
शुभा का लेखक
कश्मिरा है भार
के नाम शक्ति
पडोस से शुभा
के भरा कोई
लिना देना नहीं
है व शलीम
द्वारा भी
अपनी शुभा
लेखनी गयी है
श्रीगाराम

मोडर श्री नृसिंह जी बनाम शमीम खां

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

बनाम

म मुकदमा

शुद्ध - 234

नं. 2012

सम्

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

उक्त मूल वादपत्र के फैसल हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प- फुटाला के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-फुटाला